न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 317/2013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर हाल कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)
–प्रार्थी

वनाम

1. शीला वेवा नारायण (फौत)
   1/1. मालीराम पुत्र नारायण
   1/2. सुशीला पुत्री नारायण पत्नि उदमीराम निवासी फतेहपुर तह0 वानसूर जिला अलवर।
   1/3. कमलेश पुत्री नारायण पत्नि हनुमान निवासी नांगलेडी तहसील थानागाजी जिला अलवर।
2. मेवा पत्नि रामकरण निवासी सूरजपुरा
3. सुरजा पुत्र कालू निवासी सूरजपुरा
4. रामकरण पुत्र कालू निवासी सूरजपुरा
5. लालाराम पुत्र कालू निवासी सूरजपुरा
6. श्योकोरी वेवा कालू (फौत)
   6/1. रामकरण पुत्र कालू
   6/2. सूरजा पुत्र कालू
   6/3. मेवा पुत्री कालू पत्नि लिच्छूराम निवासी कसाईयों का मौहल्ला पावटा जिला जयपुर
   समस्त जाति धानका

–अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 30/12/17

1. तहसीलदार विराटनगर ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2477/1.06 हैक्ट0 किस्म वारानी 3 वाके ग्राम छीतौली तहसील विराटनगर जो कि साविक खसरा नम्बर 1881, 1883 किस्म गैर मुमकिन नला से बने है। जो अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त भूमि मौके पर गैर मुमकिन नला के बहाव क्षेत्र में हाल खसरा नम्बर 2477 रकबा 1.06 हैक्ट0 आती हैं एवं राजस्व रिकार्ड में भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटिशन संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान वनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में हाल व साविक रिकार्ड का अवलोकन करने से

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

हुई। उपरोक्त आराजी साविक खसरा नम्बर 1881, 1883 किस्म गैर मुमकिन नला से बने जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। जो मौके पर नला है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 एलआर एक्ट 1956 प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 2477 रकबा 1.06 किस्म बारानी तृतीय वाके ग्राम छीतौली तहसील विराटनगर मे से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी को राजकीय भूमि सिवाईचक गैर मुमकिन नला दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आन्नद सिंह शेखावत द्वारा उपस्थित आकर वकालतनामा तथा लिखित बहस पेश की गई जो शामिल पत्रावली है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से उपिस्थत सरकार पैरोकार ने निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हाल खसरा नम्बर 2477/1.06 वाके ग्राम छीतोली तहसील विराटनगर के मिलान क्षेत्रफल से जाहिर है कि खसरा नम्बर 2477/1.06 साविक खसरा नम्बर 1881, 1883 से बना है तथा जमाबंदी सम्वत 2012–2027 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साविक खसरा नम्बर 1881, 1883 की किस्म गैर मुमकिन नला थी उक्त भूमि को किसी दीगर को आंवटीत नही की जा सकती है। धारा 16 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि गैर मुमकिन नला की भूमि को किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन संख्या 1536/2003 बउनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में साविक रिकॉर्ड अनुसार भूमि को दर्ज करने के आदेश मिले हुये है अतः प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावें। वकील अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रस्तुत रेफरेन्स में अप्रार्थीगण के वर्तमान खसरा नम्बर के पुराना रिकॉर्ड का कहीं भी उल्लेख नही किया गया है जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 2477/1.06 हैक्ट0 साविक खसरा नम्बर 1881, 1883 मिन से बनना हाल सैटलमेंट में दिखाया गया है। कौनसा खसरा नम्बर सिवायचक का रहा तथा कोनसा नम्बर गैर मुमकिन नला का रहा के संबंध में तहसीलदार विराटनगर द्वारा कोई उल्लेख नही किया गया जबकि साविक खसरा नम्बर 1883 रकबा 94 बीघा 7 बिस्वा सिवायचक भूमि काफी बडे रकबे का नम्बर रहा है। अप्रार्थीगण के बुर्जग गरीब अनुसूचित जाति के बयक्ति होने के कारण उक्त भूमि अप्रार्थीगण के बुर्जगों के नाम आवंटित हुई है। इसलिए बुजुर्गो के पक्ष में हुये आबंटन आदेश को यथावत रखकर अप्रार्थीगण के खिलाफ पेश रेफरेंन्स को खारीज फरमावें।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजाज हाल खसरा नम्बर 2477/1.06 वाके मौजा छीतोली तहसील विराटनगर के मिलान क्षेत्रफल से जाहिर है कि खसरा नम्बर 2477 साबिक खसरा नम्बर 1881, 1883 से बना है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2012–2027 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 1881, 1883 कि किस्म गैर मुमकिन नला थी। उक्त भूमि को किसी दीगर को आंवटित नही की जा सकती है। धारा 16 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि को किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है तथा माननीय उच्च

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय में विचाराधीन रिट पिटिशन संख्या 1536/2003 बउनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में हाल रिकॉर्ड को साविक रिकॉर्ड के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है।

अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 2477/1.06 वाके मौजा छीतोली तहसील विराटनगर की किस्म साविक रिकॉर्ड अनुसार गैर मुमकिन नला दर्ज करने की अभिशंषा के साथ माननीय निबंधक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाता है। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 30-12-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली(कोटपूतली-बहरोड़)